दिनांक: 30.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 01 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर मृतक के ई-रिक्शा की बैटरी, मृतक के कपडे, मृतक का आधार कार्ड व बैंक पास बुक बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 21.12.2023 को वादिया गुलशाना पत्नी अब्दुल हमीद नि0 दुधली बुखारा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादिया के पति अब्दुल हमीद दिनाँक 16.12.23 को घर से ई-रिक्सा चलाने निकले थे, जो वापस नही आये की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा की तलाश की जा रही थी। इसके उपरान्त दिनाँक 07.01.2024 को साई मन्दिर के पास माँगेराम निवासी बेहट रोड़ ग्राम मढ़ के पास बाग में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ जिसकी हत्या कर शव को फेक दिया था जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 13.01.2024 को उ0नि0 श्री दीपचन्द यादव के द्वारा थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 20/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान अब्दुल वहीद पुत्र मकशूद नि0 दूखली बुखारा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के रुप में हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर हत्या के खुलासे व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 29.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए **01 हत्यारोपी अभियुक्त शाजेब उर्फ शाहजेब पुत्र सुलेमान नि0 ग्राम रसूलपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को मढ़ से आगे ढमौला नदी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही से मृतक अब्दुल हमीद के ई-रिक्शा की बैटरी, मृतक के गर्म कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व बैंक पास बुक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 201/394/411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त ने बताया कि घटना में शामिल उसका एक अन्य साथी सुहैल पुत्र नूर मोहम्मद नि0 रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर पूर्व से अन्य मामले में जिला कारागार सहारनपुर में निरूद्ध है, जिसके विरुध्द आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त शाजेब उर्फ शाहजेब ने बताया कि करीब एक साल पहले मुझे शराब पीने की लत लग गयी थी। उसी दौरान मेंरी जान पहचान सुहैल से हो गयी थी। शराब की लत के कारण पैसो की तंग्गी रहने लगी थी। दिनांक 02.01.2024 को दोपहर के बाद मुझे सुहैल बेहट अड्डे पर मिला था। तो मैने उससे कहा था कि भाई मेरे पास पैसों की वहुत तंगी चल रही है। कुछ ऐसा काम करवा दे कि खर्चे पानी को कुछ रुपये मिल जायें। तो सुहैल ने मुझसे कहा कि अड्डे पर काफी ई-रिक्शा वाले घूम रहे है। किसी ऐसे ई-रिक्शा वाले को पकड कर उसके ई-रिक्शे में सवारी बनकर वैठ जायेगे। और जंगल की तरफ ले जाकर उसका ई-रिक्शा लूट लेगें तथा उसको बेचकर काफी पैसे मिल जायेंगे, कुछ दिनों का खर्चा पानी निकल आयेगा, कि कुछ देर बाद एक ई-रिक्सा वाला हमीद निवासी दूधली बुखारा आया जिसके साथ हम दोनों ने पहले भी एक दो बार शराब पी थी और हम दोनों हमीद के रिक्शा में बैठकर बेहट रोड पर ठेके की तरफ चल दिये तथा साँई धाम मन्दिर से आगे शराब के ठेके पर जाकर हम तीनों ने रिक्शा में वैठकर शराब पी, जब दिन छिप गया और अंधेरा हो गया तो शराब के ठेके से करीव100 मीटर चलने के बाद सुहैल ने पेशाव करने के बहाने हमीद से ई-रिक्शा रुकवा लिया और हम दोनों ने हमीद को उसके रिक्शे से नीचे खींच लिया तथा सडक के किनारे झाँडियो में ले

जाने लगे तो हमीद हाथ पैर फैंकने लगा था। हमीद ज्यादा हाथ पैर मार रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मै तुम लोगो की शिकायत पुलिस में करूंगा तब मैने उसी के गमछे से उसके दोनों पैर बाँध दिये तथा सुहैल ने ई-रिक्शे में पडी एक रस्सी से हमीद का गला घोंट दिया था और उसी के कुछ देर में ही हमीद मर गया था। जिसके बाद हमने उसकी लाश को वहीं सडक के किनारे झाँडियो में छिपा दिया और हम दोनों लूटी हुई हमीद की ई-रिक्शा को ग्राम मढ से आगे ढमोला नदी के पास ले गये तथा वहीं पर सुहैल व मैने सीट के नीचे देखा तो उस ई-रिक्शा में चार बैटरे थे तथा एक थैला जिसमें हमीद के गर्म कपडे व कुछ सामान रखा था। वही पर हमने रिक्शे के दो बैटरे व थैला को निकाल लिया था। सुहैल ने मुझसे कहा था कि यह दो बैटरे व थैला तू रख ले बाकि ई-रिक्शा में लेकर जा रहा हूँ। आज यह दूसरी बैटरी व अन्य सामान जो मैने यहाँ पर छिपाकर रख दी थी, इसको निकाल कर बेचने के लिए ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाजेब उर्फ शाहजेब पुत्र सुलेमान निदेहात जनपद सहारनपुर0ग्राम रसूलपुर थाना को 0

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 109/24 धारा 411/414 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 171/24 धारा 379 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 20/24 धारा 302/201/394/411 भादवि थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 ई-रिक्शा की बैटरी
01 मृतक का आधार कार्ड ,
01 बैंक पास बुक बरामद
मृतक के इस्तेमाली गर्म कपड़े ,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
3. है0का0 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
4. है0का0 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
5. का0 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर

दिनांक: 30-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा नाबालिग लडकियो से छेडछाड की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. रईस पुत्र मुर्सलीन व 2. गुलफाम पुत्र गुलबहार निवासीगण पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ फोन पर अश्लील बाते करने, दुष्कर्म करने की धमकी देने, वादिया की छोटी बहन का रास्ता रोककर धमकी देने व कूडा लेकर जाते समय पकडकर वादिया के साथ अश्लील हरकते करने की सूचना के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 244/24 धारा 296/351(2)/126(2)/75 बीएनएस व 3(2)5क एससी एसटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 30.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग लडकियो से छेडछाड की घटना कारित करने वाले आरोपी 02 अभियुक्तगण 1. रईस पुत्र मुर्सलीन निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर व 2. गुलफाम पुत्र गुलबहार निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर को ग्राम पहाड़पुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व विवेचनात्म कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पाक्सो एक्ट की वृद्धी की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रईस पुत्र मुर्सलीन निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. गुलफाम पुत्र गुलबहार निवासी पहाडपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 350 फसीह अकरम थाना नांगल जिला सहारनपुर

दिनांक: 30.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 25000/- रूपये के ईनामी वांछित/अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.08.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 220/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 573/2018 धारा 174 ए भा0द0वि0 का फरार एवं 25000 रूपये का ईनामी अभियुक्त **फूल्लू उर्फ फूल सिंह उर्फ रोहित पुत्र पातीराम निवासी ग्राम विरालीयान थाना झिंझाना जनपद शामली** को ग्राम विरालीयान थाना झिंझाना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त फूल्लू उर्फ फूल सिंह ने पूछने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नही हूँ 11.05.18 को मैंने अपने 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर अम्बेहटापीर क्षेत्र के बाजार से एक आदमी और औरत से डरा धमका कर सोने की चैन व पर्श छिन कर भागने लगे थे तो मेरे एक साथी को वही लोगो ने पकड़ लिया था और हम तीनो वहाँ से भाग गये थे और पुलिस से पकड़े जाने के डर से छिपते छुपाते रहे थे फिर मेरे दो अन्य साथी हरीप्रकाश व जीत कुमार को भी पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया था तथा मैं तभी से पुलिस से छुपकर रह रहा था। कल मेरा अपनी पत्नी से कुछ विवाद हो गया था जिस कारण मैं और मेरी पत्नी तथा परिवार के लोगो मेरे गांव की पुलिस चौकी अहमदगढ़ थाना झिंझाना गये थे वही से मेरे किसी विरोधी द्वारा आपके थाने की पुलिस को सूचना दे दी थी और मैं जब रात के समय अपने गांव से झिंझाना की ओर जा रहा था तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फूल्लू उर्फ फूल सिंह उर्फ रोहित पुत्र पातीराम निवासी ग्राम विरालीयान थाना झिंझाना जनपद शामली

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 220/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 573/2018 धारा 174 ए भा0द0वि0 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रोहित पुत्र शोसिह नि0 ग्राम गोविन्दगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0-293/24, धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया जा चुका है। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5L/6 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त रोहित पुत्र शोसिंह निवासी ग्राम गोविन्दगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम आसराखेड़ी भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोहित पुत्र शोसिंह निवासी ग्राम गोविन्दगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1108 प्रदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:- 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.07.2024 को वादिया द्वारा थाना सरसावा पर उपस्थित आकर एक लिखित तहारीर बाबत अभियुक्त आयान मलिक पुत्र इकलाख उर्फ लाखा नि0 मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर वादिया के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 376(2)n भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सतेन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त **आयान मलिक पुत्र इकलाख उर्फ लाखा नि0 मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को उसके मकसन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आयान मलिक पुत्र इकलाख उर्फ लाखा नि0 मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राममेहर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. हैका0 1050 नितिन थाना सरसावा सहारनपुर।
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 359 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान तीन शातिर नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1.नवीन पुत्र प्रेमचन्द निवासी शिवेन्द्र विहार थाना मण्डी सहारनपुर, 2. जुल्फकार पुत्र गुलजार निवासी हाल पता रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात मूल पता कम्बोह माजरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 3. सुहैल पुत्र हाजी हारून निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को बाबा लाल दास मन्दिर गेट से शिवधाम की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 359 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 330/24 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम नवीन व 02 अन्य के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि जो काले रंग का चिपचिपा पदार्थ है वह चरस है। हम तीनो नशे के आदी है तथा इस चरस को पीने के लिये लाये थे तथा इसमे कुछ चरस हम लोग चलते फिरते लोगो को बेच देते है, इससे हम लोगो की अच्छी कमाई हो जाती है और हमारे नशे की जरूरते भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. नवीन पुत्र प्रेमचन्द निवासी शिवेन्द्र विहार थाना मण्डी सहारनपुर
2. जुल्फकार पुत्र गुलजार निवासी हाल पता रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात मूल पता कम्बोह माजरा थाना बेहट, सहारनपुर
3. सुहैल पुत्र हाजी हारून निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

121 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्त नवीन उपरोक्त)
123 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्त जुल्फकार उपरोक्त
115 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्त सुहैल उपरोक्त)

आपराधिक इतिहास – (नवीन)

1. मु0अ0सं0 152/12 धारा 4/24 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली को0नगर सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 482/12 धारा 13 सा0जुआअधि0 थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 405/19 धारा 13 सा0जुआअधि0 थाना को0नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 144/17 धारा 13 सा0जुआअधि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 162/19 धारा 60,63 आब0 अधि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 345/20 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 356/16 धारा 60 आब0अधि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 390/19 धारा 63 आब0अधि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 577/17 धारा 13 सा0जुआ अधि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास – (जुल्फकार)

1. मु0अ0सं0 127/21 धारा 380,457 भादवि थाना कोतवाली बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 906 विपिन राठी , थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 705 प्रशान्त राणा थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
5. का0 2199 विष्णु चौधरी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 2318 सौरभ थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 ई-रिक्शा चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2024 को वादी श्री मनीष पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम पुंवारका थाना कोतवालीदेहात सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी के पिता को ई-रिक्शा में जूस में नशीला पदार्थ देकर वादी के पिता का ई-रिक्शा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 379/328 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछित चल रहे **अभियुक्त शोएब उर्फ मोनू पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 रमजानपुरा रसूलपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को रसूलपुर बैक के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग में 05 अभियुक्तो को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। जिनके कब्जे से चोरी हुई ई-रिक्शा व फोन बरामद हुआ था। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

शोएब उर्फ मोनू पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 रमजानपुरा रसूलपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास—

1.मु0अ0स0 93/24 धारा 379/411/328 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर

2. मु0अ0स0 197/24 धारा 379/411/328 भादवि थाना कोतवाल देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 207 दिनेश कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. का0 2168 रोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

दिनांकः 30-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देने आया 01 परीक्षार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ0प्र0 पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 30.08.24 को श्रीमति सीमा यादव निरीक्षक पुलिस लाईन, सहारनपुर प्रथम पाली में परीक्षा केन्द्र कोड 68017 करमचन्द चण्डी प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालिज, गिल कालोनी सहारनपुर पर डियूटी में थी। परीक्षा के दौरान एक अभ्यार्थी जिसका फर्जी नाम परमजीत पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम मैनापुथी थाना सरूरपुर जिला मेरठ जन्मतिथि 27.02.2005 व अनुक्रमांक नं0- 5100657 परीक्षा देने आया था। जाँच के दौरान पता चला कि उसका असली नाम प्रशान्त कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मैनापुथी थाना सरूरपुर जिला मेरठ जन्म तिथि 15.06.1996 पाया गया। अभ्यार्थी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र आदि बरामद किये गये है तथा अभियुक्त को करमचन्द चण्डी प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालिज से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0- 493/24 धारा 318(4)/338/336(4)/340(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त नें पूछताछ पर बताया कि मेरा असली प्रशान्त कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मैनापुथी थाना सरूरपुर जिला मेरठ उ0प्र0 है तथा मेरी जन्मतिथि 15.06.1996 है। मेरी नौकरी की उम्र निकल जाने के कारण सरकारी नौकरी पाने के लिये मैने पुन: वर्ष 2021 मे हाईस्कूल, इण्टर वर्ष 2023 मे प्राईवेट से पास किया है। मैने अपना आधार कार्ड असली नाम प्रशान्त कुमार व जन्मतिथि 15.06.1996 के स्थान पर नाम परमजीत पुत्र विजय सिंह व जन्मतिथि 27.02.2005 बदलकर दुबारा बनवाया। मै आज बदले हुये नाम व जन्मतिथि के अनुसार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की उत्तीर्ण परीक्षा के आधार पर आज आरक्षी भर्ती का पेपर देने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रशान्त कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मैनापुथी थाना सरूरपुर जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद आधार कार्ड ,एक अदद डीएल, एक अदद प्रवेश पत्र, प्रपत्र - 8 एक अदद, प्रपत्र 16 - एक अदद , प्रश्न पुस्तिका मूल - 12 वर्क, छाया प्रति OMR शीट - 1 वर्क

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक सीमा यादव पुलिस लाईन, सहारनपुर।
2. अन्जू त्यागी सेक्टर मजिस्ट्रे प्रथम सहारनपुर
3. श्री गोविन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता प्रन्तीक खण्ड लोकनिर्माण विभाग सहारनपुर
4. श्री संजय डबराल स्टेटिक मजिस्ट्रेट खण्ड शिक्षा अधिकारी देवबन्द सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देने आया 01 परीक्षार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ०प्र० पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.08.2024 को उ0नि0 श्री निर्भय सिंह तैनाती पुलिस लाईन सहारनपुर की डियूटी परीक्षा केन्द्र राजकीय इन्टर कालेज कमेला रोड सहारनपुर में प्रथम पाली केन्द्र प्रभारी के रूप में लगी थी। उ0नि0 श्री निर्भय सिंह को कन्ट्रोल रूम में आकर परीक्षा केन्द्र हैड बायोमैट्रिकि श्री मौसम अली ने बताया कि एक अभ्यर्थी जिसकी बायोमैट्रिक चैकिंग के दौरान जन्मतिथि के प्रपत्रों में अन्तर आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री निर्भय सिंह मय स्टैटिक मजिस्ट्रेट श्री हरी प्रकाश मय प्रधानाचार्य श्रीमती प्रीति के बायोमैट्रिक चैकिंग स्थान पर पहुँचे तो अभ्यर्थी का रोल न0 5113343 प्रभात तोमर पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह नि0 एचएन 362 बिराल – 1 तोमर मार्केट किशनपुर बागपत आरक्षी भर्ती की परीक्षा हेतु आये अभ्यार्थी उपरोक्त की बायोमैट्रिक के दौरान प्रवेशपत्र में दर्शायी गयी जन्मतिथि 01.01.2003 तथा आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि 01.02.1992 में अन्तर आ रहा है। बायोमैट्रिक जांच में अभ्यर्थी की दो अलग- अलग जन्मतिथी अंकित पायी गयी। जिसके बाद अभियुक्त प्रभात तोमर उपरोक्त के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र आदि बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 253/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा नाम प्रभात तोमर पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह नि0 एचएन 362 बिराल – 1 तोमर मार्केट किशनपुर बागपत उ0प्र0 है। मेरी जन्मतिथि 01.02.1992 है। मैने वर्ष 2007 में हाईस्कूल जी0एस0 इंटर कालेज दोघट बागपत से उत्तीर्ण की थी। मेरी नौकरी की उम्र निकल जाने के कारण मैने पुनः वर्ष 2019 में हाईस्कूल SPSBPRH SS HOLPUR RASTI AZAMGARH स्कूल से की थी जिसमें मैने अपनी जन्मतिथि 01.01.2003 दर्शायी थी। मैने जिस बदली हुयी जन्मतिथि से दौबारा से हाईस्कूल व इन्टर की परीक्षा पास की थी उन्ही अंक पत्रो से मैने पिछले वर्ष सिपाही भर्ती हेतु फार्म भरा था। जिसकी मै आज परीक्षा देने आया था। मैं आज बायोमैट्रिंक कराने के बाद परीक्षा कक्ष में अन्दर जाकर परीक्षा देने वाला था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रभात तोमर पुत्र श्री ब्रजवीर सिंह नि0 एचएन 362 बिराल – 1 तोमर मार्केट किशनपुर बागपत उ0प्र0

बरामदगी का विवरणः-

01 आधार कार्ड, 01 फर्जी प्रवेश पत्र आदि

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. स्टैटिक मजिस्ट्रेट श्री हरी प्रकाश जे0ई0 सिचाई विभाग तहसील रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. प्रधानाचार्य श्रीमती प्रीति राजकीय इंटर कालेज कमेला रोड सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री निर्भय सिंह तैनाती पुलिस लाईन सहारनपुर।
4. हैड का0 1157 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

दिनांक: 30.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देने आया 01 परिक्षार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ०प्र० पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.08.2024 को निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह तैनाती अपराध शाखा पुलिस लाईन सहारनपुर की डियूटी परीक्षा केन्द्र राजकीय इन्टर कालेज कमेला रोड सहारनपुर में प्रथम पाली केन्द्र प्रभारी के रूप में लगी थी। निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह को सूचना दी कि एक अभ्यर्थी जिसकी बायोमैट्रिक चैकिंग के दौरान जन्मतिथि के प्रपत्रों में अन्तर आ रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह केन्द्र प्रभारी, केन्द्र व्यवस्थापक श्री गुफरान आलम, स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार कौशल एव केन्द्र प्रभारी श्री राहुल कुमार केन्द्र सहायक व्यवस्थापक श्री आदित्य नारायण शर्मा को अवगत कराकर मौके पर बुलाकर अभ्यार्थी रोल नं0 5076123 जितेन्द्र सिंह पुत्र पीतम सिंह नि0 ग्राम जरीहा मौहल्ला राजाखेडा धौलपुर राजस्थान आरक्षी भर्ती की परीक्षा हेतु आये अभ्यार्थी उपरोक्त की बायोमैट्रिक के E-KYC के दौरान पोर्टल पर उक्त अभ्यार्थी की भिन्न भिन्न जन्मतिथि 12.07.1998 व 12.07.2003 दर्शायी गयी। बायोमैट्रिक जांच में अभ्यर्थी की दो अलग- अलग जन्मतिथी अंकित पायी गयी। जिसके बाद अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उपरोक्त के कब्जे से फर्जी मार्कशीट एवं प्रवेश पत्र आदि बरामद किये गये । जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 252/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा नाम मैने वर्ष 2012 में न्यू इण्डियन पब्लिक सीनियर सैकण्ड्री स्कुल राजखेडा धोलपुर से माध्यमिक परीक्षा अनुक्रमांक 0863315 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण की थी, उक्त पंजिका में अंकित जन्मतिथि के आधार पर मै विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा मे बैठने के लिये उम्र के आधार पर वंचित हो जाता, अतः मैने वर्ष 2021 मे अपनी जन्म तिथि 12.07.2003 दर्शाते हुये पुनः माध्यमिक परीक्षा राजखेडा पब्लिक सीनियर सेकेण्ड्री स्कुल राजखेडा धौलपुर से अनुक्रमांक -1150879 से उत्तीर्ण की तथा आधार पर मैने अपने आधर कार्ड को अपडेट कराते हुये अपनी जन्मतिथि 12.07.2003 अंकित करा दी थी मेरे उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस एडमिट कार्ड मे भी मेरी जन्मतिथि 12.07.2003 अंकित है। जो आधार कार्ड की जन्मतिथि से मेलखाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जितेन्द्र सिंह पुत्र पीतम सिंह नि0 ग्राम जरीहा मौहल्ला राजाखेडा धौलपुर राजस्थान।

बरामदगी का विवरणः-

01 आधार कार्ड, 01 फर्जी प्रवेश पत्र आदि

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. केन्द्र व्यवस्थापक श्री गुफरान आलम जनपद सहारनपुर
2. स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार कौशल जनपद सहारनपुर
3. केन्द्र प्रभारी श्री राहुल कुमार जनपद सहारनपुर
4. केन्द्र सहायक व्यवस्थापक श्री आदित्य नारायण शर्मा जनपद सहारनपुर
5. निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह अपराध शाखा पुलिस सहारनपुर।

दिनांक: 30/08/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा स्कूल बस पर फायरिग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र श्री बेगराज सिंह निवासी ग्राम भायला कला, थाना देवबन्द जिला सहारनपुर लिखित तहरीर बाबत 05 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से बस सं0 UP11BT4877 मे बैठे छात्रो पर गोलिया चलाने, जिसमे छात्र / चालक के बाल बाल बच जाने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 463/24 धारा 190/191/109 बी0एन0एस0 अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देशन दिये गये। आदेश के अनुपाल मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर एक वांछित अभियुक्त **कार्तिक पुत्र मंगेश निवासी सैदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम बनेड़ा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

कार्तिक पुत्र मंगेश निवासी सैदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उपनिरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. कांस्टेबल रवि कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. कांस्टेबल गौरव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मारपीट के 06 वाँछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री संजय सिह पुत्र प्रेम सिह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर उपस्थित आकर वादी के पुत्र अंकित राणा के साथ एक राय होकर बन्धक बनाकर लाठी डन्डो से मारपीट करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0- 249/24 धारा 190/191(2)/191(2) /115(2) / 127(2) /351(2) /352 बीएनएस बनाम अभियुक्त गण मांगा उर्फ आनन्द कुमार पुत्र निरंजन सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा सहारनपुर आदि 11 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित करने वाले 06 अभियुक्त गण **1. मांगा उर्फ आनन्द कुमार पुत्र निरंजन सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा सहारनपुर 2. राजकुमार पुत्र किशन सिह 3. मोना उर्फ अमित कुमार पुत्र कान सिह 4. ठाठ सिह पुत्र राम सिह 5. रविन्द्र कुमार पुत्र लाल सिह निवासी गण ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 6. मुकुल सैनी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा सहारनपुर** को आज दिनांक 30.08.2024 को ग्राम नवादा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर सभी ने एकराय होकर बताया कि दिनाक 27.08.2024 की रात्रि मे अंकित राणा पुत्र संजय सिह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हमे मोटरसाइकिल पर आता हुआ मिल गया। जिसके पास तमन्चा था हम लोगो ने समझा ये बिजली मोटर चोरी करने वाला है। इसलिये हम लोगो ने इसके साथ मारपीट कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मांगा उर्फ आनन्द कुमार पुत्र निरंजन सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा सहारनपुर
2. राजकुमार पुत्र किशन सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मोना उर्फ अमित कुमार पुत्र कान सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. ठाठ सिह पुत्र राम सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. रविन्द्र कुमार पुत्र लाल सिह निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. मुकुल सैनी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री यशपाल सिह सोम थाना सरसावा सहारनपुर
3. है0का0 97 अनुराग थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 2312 राजू थाना सरसावा सहारनपुर
5. का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
6. का0 2385 वीर बहादुर थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 226/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। पीड़िता को सकुशल बरामद कर विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64,87 बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधि0 की वद्धी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम आज दिनांक 30.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त की घटना के वांछित अभियुक्त **अंकुश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अगवानहेड़ा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अगवानहेड़ा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हैका0 71 प्रदीप सिंह थाना सरसावा स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया, अभियुक्त की निशानदेही से घटना मे प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.24 को वादी श्री फौजवीर सिंह पुत्र यशपाल नि0 माधोपुर थाना तितरो सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभि0गण द्वारा वादी के पुत्र दिक्षित पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे गोली दिक्षित की बाजु मे व एक अन्य व्यक्ति के पैर मे गोली लगने से घायल होना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे, के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 196/2024 धारा 307/34/504/506 भादवि बनाम 1. आकाश उर्फ छोटू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 2- शिवम पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 3- छोटू पुत्र सीलू नि0 ग्राम भाँकला थाना रामपुर मनिहारन व कुछ अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित छोटू पुत्र सीलू नि0 ग्राम भाँकला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर पूर्ण नाम विपुल उर्फ छोटू पुत्र सुशील उर्फ शीलू निवासी भांकला थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर पाया गया एवं मुकदमा उपरोक्त में अज्ञात अभियुक्तगण के रूप में अभियुक्तगण 1.अक्षय पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम रेडीमलकपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर व 2.दीपक पंवार उर्फ आदित्य पुत्र खडग सिंह निवासी ग्राम सकतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 3.मन्नी राणा पुत्र नामालूम निवासी मौहल्ला हकीकत नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया है तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 147/148/149 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृधि की गयी | मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त अक्षय पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम रेडीमलकपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर द्वारा दिनांक 20.08.24 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर से मुकदमा उपरोक्त मे घटना मे प्रयुक्त तमन्चा बरामद करने हेतु अभि0 अक्षय पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम रेडीमलकपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर का 6 घण्टे का दिनांक 30.08.24 को समय प्रातः 10.00 बजे से 16.00 बजे तक का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व अवैध अस्त्र व शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.08.24 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-196/24 धारा 307/34/504/506/147/148/149 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट मे पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिये गये अभि0 ***अक्षय पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम रेडीमलकपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर*** की निशांदेही से जन्धेडा समसपुर रजवाहा पुलिया से ग्राम नल्हेडा गुर्जर जाने वाले रास्ते से मुकदमा उपरोक्त की घटना मे प्रयुक्त एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त अक्षय उपरोक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अक्षय उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने व मेरे साथी आकाश उर्फ छोटू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व दीपक पंवार उर्फ आदित्य पुत्र खडग सिंह निवासी ग्राम सकतपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ,शिवम् पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर , मन्नी उर्फ अक्षय राणा पुत्र विनोद कुमार राणा निवासी ग्राम नं0 02/1663(ए) दयाल कालोनी हकीकत नगर सहारनपुर व विपुल ने मिलकर दिनांक 18.06.24 को दिन में करीब 12.00 बजे ग्राम जन्धेडा समसपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर में दीक्षित पुत्र फौजवीर सिंह व प्रिंस पुत्र संजय निवासी ग्राम कोलाखेडी के उपर पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से फायर किये थे, करीब 15 दिन पहले जे0वी जैन डिग्री कालेज पर हम लोगो की इन लोगो से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी तभी से ही हम लोग इन्हें मारने की फिराक में घूम रहे थे दिनांक 18.06.24 को हमे ग्राम जन्धेडा समसपुर में इन्हें मारने का मौका मिला था लेकिन यह लोग बच निकले | साहब मेरे पास जो तमंचा था वह मैने एक पन्नी में लपेटकर जन्धेडा बम्बा पुलिया से नल्हेडा गुर्जर जाने वाले रास्ते में कही झाडियो में छिपा दिया था। जिसे मैने आज आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

अक्षय पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम रेडीमलकपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः

01 तमन्चा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (घटना मे प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 193/21 धारा 307/336/352/452/504/506 भादवि चालानी थाना रामपुर मनि0 स0पुर
2. मु0अ0सं0 244/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना रामपुर मनि0 स0पुर

बरामदगी करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. है0का0 530 अमित कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 4100/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 27.08.24 को वादी जुलफक्कार पुत्र रफीक निवासी ग्राम सलेमपुर गदा थाना बेहट पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर जिसमे वादी द्वारा पूर्व मे अपनी दुकान मे रखे **कुल 4600** रू0 चोरी होना बताया गया के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 262/24 धारा 305 (क) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक को दिशा निर्देश दिए गये इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनाक 30.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **लुकमान पुत्र इनाम निवासी सलैमपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को लतीफपुर भूड के पास बम्बे से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी किये हुए रूपयो मे से 4100/- रूपये बरामद हुये गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि अब से दो दिन पहले मैने रात के करीब 12 बजे अपने गाव मे ही सडक किनारे एक दुकान की छत पर चढकर, उसकी छत की टिन हटाकर तथा दुकान मे घुसकर उसके गल्ले मे रक्खे पैसे चोरी कर लिये थे जिसमे मुझे कुल 4600 रुपये मिले थे।

बरामदगी :-

- 4100 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

लुकमान पुत्र इनाम निवासी सलैमपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. है0का0 507 गौरव राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 03 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि **दिनांक 26.08.2024 को वादी श्री पवन कुमार** पुत्र श्री राजपाल नि0 चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जिला सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस नं0 UP-11-AY-0582 चोरी करने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0-318/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा **दिनांक 29.08.2024 को वादी श्री सन्दीप राणा** पुत्र श्री जलसिहं नि0 ग्राम सोनाअर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस UP 11 AL 0339 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 - 324/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा आज **दिनांक 30.08.24 को वादी श्री शाकिब** पुत्र शमशाद निवासी शेरपुर थाना रामपुर मनि0 स0पुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल सीटी 100 रंग काला नं0 UK 17K 3498 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 326/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम एवं अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 30.08.24 को प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभि0 **इसरार पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को मय मु0अ0स0 318/24 धारा 303(2) BNS मे चोरी गयी मो0सा0 स्प्लेंडर रजि0 न0 UP 11 AY 0582 के ईदगाह चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 इसरार उपरोक्त की निशांदेही से मु0अ0स0 324/24 धारा 379 भादवि मे चोरी गयी मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस रंग काला नम्बर UP 11 AL 0339 व मु0अ0सं0 326/24 धारा 379 भादवि मे चोरी गयी मो0सा0 CT 100 रजि0 नम्बर UK 17 K 3498 को इस्लाम नगर रोड पर रज्वाहे से पहले बने खाली कमरे के पीछे से बरामद कर तीनो चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 318/24 धारा 303(2) BNS मे धारा 317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 324/24 धारा 379 ipc मे धारा 411 भादवि व मु0अ0स0 326/24 धारा 379 IPC मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी अभियुक्त इसरार उपरोक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त इसरार उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मो0सा0 स्प्लेंडर रजि0 न0 UP 11 AY 0582 को मैने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 23/08/24 को गाँव हरड़ेकी रविदास मंदिर आश्रम से चोरी की थी तथा मैने व मेरे साथी ने और 02 मो0सा0 चोरी की थी जो हमने इस्लाम नगर रोड नहर रज्वाहे के पास ही बने खाली खण्डर कमरे के पीछे छुपा दी थी। मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नम्बर UP 11 AL 0339 को मैने व मेरे साथी ने जून के आखरी सप्ताह मे शाम के समय सरकारी अस्पताल रामपुर मनिहारान से चोरी की थी तथा तीसरी मो0सा0 CT 100 रजि0 नम्बर UK 17 K 3498 को हम दोनों ने मार्च के महीने मे शहरी पुलिया

के पास मस्जिद के पास से चोरी किया था। आज मैं मो0सा0 स्पलैण्डर नं0 UP 11 AY 0582 को बेचने की फिराक मे जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इसरार पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण–

1. मो0सा0 स्प्लेंडर रजि0 न0 UP 11 AY 0582 चैसिस नम्बर MBLHA10BWFHH55071 व इंजन नम्बर HA10EWFHH09741 सम्बन्धित मु0अ0स0 318/24 धारा 303(2)/317(2) BNS
2. मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस रंग काला नम्बर UP 11 AL 0339 चैसिस नम्बर MBLHA10AMC9M81244 व इंजन नम्बर HA10EJO9M01639 सम्बन्धित मु0अ0स0 324/24 धारा 379/411 भादवि
3. मो0सा0 CT 100 रजि0 नम्बर UK 17 K 3498 चैसिस नम्बर MB2B37AY2JBF175662 व इंजन नम्बर PFYPJF11940 सम्बन्धित मु0अ0सं0 326/24 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 224/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 चालानी थाना रामपुर मनि0 स0पुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री विनय शर्मा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राधेश्याम यादव थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. का0 339 दीपक भारद्वाज थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. का0 2386 विनीत सोनी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

दिनांक: 30-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा-2023 में फर्जी प्रपत्रो के आधार पर परीक्षा देने आया 01 परीक्षार्थी/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में उ0प्र0 पुलिस आरक्षी परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमति सीमा यादव निरीक्षक पुलिस लाईन सहारनपुर की ड्यूटी द्वितीय पाली में परीक्षा केन्द्र कोड 68017 कर्मचन्द्र चण्डी प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालिजे गिल कालोनी सहारनपुर पर थी दौराने परीक्षा एक अभ्यार्थी जिसका नाम सतीश कुमार पुत्र जगदीश नि0 शेखपुर गढवा थाना खानपुर बुलन्दशहर अनुक्रमांक नं0- 5100962 परीक्षा देने आया था जिसके द्वारा अपना आधार कार्ड व प्रवेश पत्र दिखाया गया एवं बायोमैट्रिक जांच के दौरान अभ्यार्थी सतीश का डाटा मिस मैच हो गया। मौके पर दिखाये गये आधार कार्ड नं0 970577811382 मे जन्मतिथि 26.07.2000 अंकित है, जबकि बायोमैट्रिक जांच मे इसका नाम पता- सतीश सिंह पुत्र जगदीश सिंह नि0 छोड़ के हनुमान नगर शिर्मिक वार्ड नं0- 8 गिर्द ग्वालियर पिन कोड 474005 ,जन्म तिथि 26.07.2004 प्रदर्शित हो रहा था, जोकि फर्जी है। जिसके आधार पर **अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र जगदीश सिंह नि0 शेखपुर गढवा थाना खानपुर बुलन्दशहर** को परीक्षा केन्द्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र आदि बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0- 494/24 धारा 318(4)/338/336(4)/340(2) बीएनएस व का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त नें पूछताछ पर बताया कि मेरा असली नाम सतीश कुमार पुत्र जगदीश सिंह नि0 शेखपुर गढवा थाना खानपुर बुलन्दशहर है मैने 2021 में आर्मी की भर्ती देखने के लिये फर्जी तरीके से आधार कार्ड को एडिट कराकर अपनी जन्मतिथि बदलवा ली थी। आज मैं परीक्षा देने आया था बायोमैट्रीक जाँच के दौरान मेरी जन्म तिथि 26.07.2004 पायी गयी जबकि मेरे पास जो आधार कार्ड था, उस पर जन्मतिथि 26.07.2000 अंकित है, जोकि वास्तव में मेरी जन्मतिथि है। इन्ही फर्जी प्रपत्रो के आधार पर मै आज परीक्षा देने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सतीश कुमार पुत्र जगदीश सिंह नि0 शेखपुर गढवा थाना खानपुर बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण:-

01 आधार कार्ड छाया प्रति, 01 अदद उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा का एडमिट कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक सीमा यादव पुलिस लाईन ,सहारनपुर।
2. अन्जू त्यागी सेक्टर मजिस्ट्रे प्रथम सहारनपुर
3. श्री गोविन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता प्रन्तीक खण्ड लोकनिर्माण विभाग सहारनपुर
4. श्री संजय डबराल स्टेटिक मजिस्ट्रेट खण्ड शिक्षा अधिकारी देवबन्द सहारनपुर
5. उ0नि0 यू0टी0 श्री अभिषेक चौरसिया थाना सदर बाजार सहारनपुर.

दिनांक 30-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास तथा 02 लाख 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 11.09.2023 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अंकुर पुत्र धीरज, 2. अमन पुत्र खिलारी निवासीगण ग्राम आसराखेड़ी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर, विवेचना से प्रकाश में आये 3. सादिक पुत्र अलीहसन, 4. सावेज पुत्र हासिम व 5. सरवेज पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम बाड़ी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की भतीजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0-265/2023 धारा 376डी,323,506 भादवि व 5जी/6 पोक्सों अधिनियम थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 2437/2023 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 30.08.2024 को अभियुक्तगण 1-अंकुर पुत्र धीरज, 2-अमन पुत्र खिलारी, 3-सादिक पुत्र अलीहसन, 4-सावेज पुत्र हासिम व 5-सरवेज पुत्र जाहिद उपरोक्त को मु0अ0स0-265/2023 धारा 376डी,323,506 भादवि व 5जी/6 पोक्सों अधिनियम का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 53 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री संजय मलिक
विवेचक निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा
पैरोकार का0 2393 आजाद कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।